सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

बाध्यताएं एवं दायित्व

सच्चा स्वराज कुछेक लोगों को अधिकार मिल जाने से ही नहीं आयेगा, बल्कि यह तो प्राधिकारियों द्वारा अनुचित कार्य किये जाने पर, सभी के द्वारा उसका विरोध करने की क्षमता हासिल करने से आएगा।

- महात्मा गांधी

'लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है, जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिये भी और सरकारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिये अनिवार्य है'।

- सूचना का अधिकार अधिनियम, **2005**

सूचना से क्या अभिप्राय है **?**

- सूचना से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, माडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है -धारा **2(**च**)**

- **"**मेरा विश्वास है कि इस विधेयक के आने के पश्चात् हमारे शासन की प्रक्रियाओं में एक नये युग का पदार्पण होगा, जोकि निष्पादन एवं दक्षता का युग होगा, यह वह युग होगा जिसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रगति का लाभ हमारे हर वर्ग के व्यक्ति तक पहुंचे, यह वह युग है जिसमें भ्रष्टाचार की व्याधि समाप्त होगी । यह वह युग है जिसमें शासन की सभी प्रक्रियाओं के केन्द्र में आम आदमी की चिंता रहेगी, यह वह युग है जो हमारे गणतंत्र के संस्थापकों की आशाओं को सही मायनों में पूरा करेगा। **"**
-

डा. मनमोहन सिंह,
भारत के प्रधानमंत्री
द्वारा **11** मई, **2005** को संसद में दिया गया भाषण ।

सूचना का अधिकार

<u>मुख्य संकल्पना</u>

- प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व ।
- भारत के किसी भी नागरिक की सूचना लेने का अनुरोध करने का अधिकार तथा इसके पश्चात् सरकार का, छूट प्राप्त सूचना को छोड़कर, अनुरोध को पूरा करने का कर्तव्य **(**धारा **18/19)** ।
- सरकार द्वारा सभी को मुख्य सूचना पहले ही उपलब्ध करवाने के लिये कार्रवाई करने का कर्तव्य **(**धारा **4)** ।
- सभी वर्गों ; नागरिक वर्गों ; गैर-सरकारी संगठनों ; मीडिया के प्रति दायित्व ।

बाध्यताएं

- धारा **4 (1)** प्रत्येक लोक प्राधिकारी **- (**क**)** अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कम्प्यूटरीकृत किये जाने के लिये समुचित हैं, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलभ्यता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पंहुच को सुकर बनाया जा सके ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, **2005 :** व्याप्ति

- **12** अक्तूबर, **2005** से लागू हुआ ;
- केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार शामिल है, तथा
- समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या सारभूत रूप से वित्तपोषित सभी निकाय ;

- समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करवाई गई निधियों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढंग से सारभूत रूप से वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठन **(2(ज))**
- कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका शामिल **(2(ङ))**
- निजी निकाय से संबंधित सूचना शामिल जिसे तत्कालीन रूप से लागू किसी भी अन्य कानून के अंतर्गत हासिल किया जा सकता है ।**(2(च))**

लोक प्राधिकारी से क्या अभिप्राय है**?**

- **"**लोक प्राधिकारी**"** से, **-**
- **(**क**)** संविधान द्वारा या उसके अधीन**;**
- **(**ख**)** संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा**;**
- **(**ग**)** राज्य विधान**-**मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा**;**
- **(**घ**)** समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किये गये आदेश द्वारा, स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत, **-**
- **(I)** कोई ऐसा निकाय है जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणीधीन या उसके द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है **;**
- **(II)** कोई ऐसा गैर-सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है।

सूचना के अधिकार से क्या अभिप्राय है **?**

- इसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है **-**

i. कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण।

ii. दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना।

iii. सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना।

iv. प्रिंट आउट, डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को अभिप्राप्त करना **[**धारा **2(**ञ**)]** ।

सूचना का अधिकार अधिनियम**, 2005 -** प्रक्रियाविधि

- आवेदन को लिखित अथवा इलैक्ट्रानिकली रूप में**,** निर्धारित शुल्क के साथ जन सूचना अधिकारी **(**पीआईओ**)** को प्रस्तुत किया जायेगा ।
- आवेदन प्राप्त करने तथा सूचना उपलब्ध करवाए जाने के लिये प्रत्येक विभाग/एजेन्सी में जन सूचना अधिकारी/उप-जिला स्तर पर आवेदन/अपील/शिकायत प्राप्त करने के लिये सहायक जन सूचना अधिकारी । जन सूचना अधिकारी को अग्रेषित करना । ये मौजूदा अधिकारियों में से ही होँगे ।
- सूचना **30** दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी । जहां जीवन अथवा स्वतंत्रता का प्रश्न जुड़ा हो**,** वहां सूचना **48** घण्टे में प्रदान की जाएगी । जहां सहायक जन सूचना अधिकारी को आवेदन किया गया है**,** वहां **35** दिन**,** जहां तृतीय पक्ष शामिल है वहां **40** दिन तथा सूचीबद्ध सुरक्षा/आसूचना एजेंसियों से मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी सूचना लेने के लिए **45** दिन ।
- शुल्क की गणना करने में तथा इसकी सूचना देने में लगा समय इस समय-सीमा के अतिरिक्त होगा ।
- **30** दिनों तक आवेदन पर कार्रवाई न किये जाने को सूचना देने से इंकार करना समझा जाएगा।
- देर से उत्तर देने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा ।

किस सूचना के प्रकटन की बाध्यता नहीं है **?**

निम्नलिखित को प्रकटण से छूट प्राप्त है **(**धारा-**8).**

- सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो ;
- सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है ;
- सूचना, जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा ;
- सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के पकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है ;
- किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत हित का समर्थन होता है;
- किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना ;
- सूचना, जिससे आपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी ;
- मंत्रिमंडल के कागजपत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद्, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं ;
- सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यष्टि की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, परंतु ऐसी सूचना के लिये जिसको, यथास्थिति, संसद या किसी राज्य विधान-मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं कया जा सकेगा

किस सूचना का प्रकटीकरण नहीं किया जा सकता

- **एक ऐसी सूचना, जिसके प्रकटीकरण से संसद अथवा राज्य विधानसभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा।**
- **व्यावसायिक विश्वास, व्यावसायिक गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सहित सूचना, जिसके प्रकटीकरण से तीसरे पक्ष की प्रतियोगी स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि व्यापक जन हित में इस प्रकार की सूचना का प्रकटीकरण अनिवार्य है।**

- **अपने वित्तीय संबंध में व्यक्ति के पास उपलब्ध सूचना जब तक कि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि व्यापक जन हित में इस प्रकार की सूचना का प्रकटीकरण अनिवार्य है;**
- **विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना;**
- **ऐसी सूचना जो अपराधियों की जाँच या गिरफ्तारी या अभियोग की प्रक्रिया को प्रभावित करेगी।**
- **मंत्री परिषद, सचिवों या अन्य अधिकारियों के विचार विमर्शों के रिकार्डों सहित मंत्रिमंडल के दस्तावेज;**
- **ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत सूचना में संबंधित है जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित के साथ कोई संबंध नहीं है या जिसमें व्यक्ति की निजता प्रभावित होगी।**
- **उपरोक्त उल्लिखित किसी छूट के होते हुए भी, कोई भी जन प्राधिकरण सूचना तक पहुंच की अनुमति प्रदान कर सकता है यदि प्रकटीकरण में जनहित सुरक्षित हितों को होने वाली क्षति से अधिक महत्वपूर्ण हो;**

- यदि वह राज्य के कापीराइट को छोड़कर किसी अन्य कापीराइट का उल्लंघन करना हो।
- जहां तक व्यवहार्य हो, रिकार्ड का एक भाग जारी किया जा सकता है।
- खुफिया एवं सुरक्षा एजेंसियों को छूट प्राप्त है (धारा **24**) - भ्रष्टाचार और मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों को छोड़कर।
- तृतीय पक्ष से संबंधित सूचना तृतीय पक्ष को नोटिस देने के पश्चात जारी की जाएगी।
- सर्वाधिक छूट वाली सूचना **20** वर्षों के पश्चात (कुछ अपवादों सहित) जारी की जाएगी।
- परंतु यह कि जिस सूचना से संसद अथवा राज्य विधायिका को इनकार नहीं किया जा सकता, उससे किसी अन्य व्यक्ति को इनकार नहीं किया जाएगा।
- ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, **1923** में किसी बात के होते हुए न ही किसी छूट (क से झ) के होते हुए लोक प्राधिकारी यदि जनहित में प्रकटीकरण से सुरक्षित हितों को महत्वपूर्ण पहुंचने वाली क्षति नहीं होती हो तो उसे प्रकट करने की अनुमति दे सकता है।

केंद्रीय सूचना आयोग

मैं किस बारे में शिकायत कर सकता हूँ?

केंद्रीय सूचना आयोग नागरिकों से प्राप्त होने वाली शिकायतों की जाँच के लिए स्थापित एक स्वायत्त निकाय है।

आप यह शिकायत कर सकते हैं कि आपको सूचना देने से इनकार कर दिया गया है। आप यह भी शिकायत कर सकते हैं कि लोक प्राधिकारी ने आपके अनुरोध पर किस प्रकार कार्यवाई की है, उदहरणार्थ;

+ 30 कार्यदिवसों के भीतर आपके अनुरोध का उत्तर देने में विफल रहना **(**या यह स्पष्ट करने में विफल रहना कि **45** दिन के विस्तार की आवश्यकता क्यों है**?)**

+ निर्धारित समय-सीमा के भीतर उचित परामर्श एवं मदद देने में विफल रहना।

+ उस रूप में सूचना देने में विफल रहना जिसमें आपने वह सूचना माँगी है।

+ आपके अनुरोध को अस्वीकार करने के कारणों को उचित रूप से स्पष्ट करने में विफल रहना उदाहरण के लिए यदि लोक प्राधिकारी का यह विश्वास है कि आपको सूचना देने से आपराधिक जाँच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

केंद्रीय सूचना आयोग को किस प्रकार की जानकारी आवश्यक होती है**?**

शिकायत का शीघ्रता से निपटारे के लिए, केंद्रीय सूचना आयोग को निम्नलिखित ब्यौरें भेजें **:-**

- अपीलकर्ता का नाम एवं पता
- जिसके विरूद्ध अपील की गई है उसके निर्णय के विरुद्ध केंद्रीय जन सूचना अधिकारी का नाम एवं पता
- संख्या, यदि कोई हो, सहित आदेश का विवरण जिसके विरुद्ध की गई है **:-**
- अपील से संबंधित संक्षिप्त तथ्य।
- यदि मान्य स्वीकृति के विरुद्ध अपील की जाती है तो संख्या एवं तारीख सहित आवेदन का विवरण तथा उस केंद्रीय जन सूचना अधिकारी का नाम एवं पता जिसे आवेदन किया गया था।
- अपेक्षित राहत का अनुरोध
- अनुरोध अथवा राहत का आधार, अपीलकर्ता द्वारा जाँच; और
- कोई अन्य सूचना जो आयोग अपील के निर्धारण हेतु आवश्यक समझे।

राज्य सूचना आयोग
राज्यों में आरटीआई अधिनियम

1.	तमिलनाडु	**1977**	**11.**	केरल	**2005**
2.	गोवा	**1977**	**12.**	गुजरात	**2005**
3.	राजस्थान	**2000**	**13.**	छत्तीसगढ़	**2005**
4.	कर्नाटक	**2000**	**14.**	हरियाणा	**2005**
5.	दिल्ली	**2001**	**15.**	पंजाब	**2005**
6.	महाराष्ट्र	**2002**	**16.**	त्रिपुरा	**2005**
7.	असम	**2002**	**17.**	आंध्र प्रदेश	**2005**
8.	मध्य प्रदेश	**2003**	**18.**	उत्तरांचल	**2005**
9.	जम्मू एवं कश्मीर	**2004**	**19.**	मेघालय	**2005**
10.	ओडिशा	**2005**	**20.**	पश्चिम बंगाल	**2005**

आरटीआई अधिनियम **2005**-शास्तियां

जनसूचना अधिकारी या लोक सूचना प्राधिकारी को सहायता देने वाले अधिकारी पर सूचना आयोग द्वारा लगाई जाने वाली शास्ति

- अनुचित विलंब हेतु - **25,000** रूपए तक **250** रूपए प्रतिदिन
- आवेदन स्वीकार करने के लिए गैर-कानूनी तरीके से इनकार, दुर्भावनापूर्ण अस्वीकृति, जानबूझकर गलत सूचना प्रदान करना, सूचना को नष्ट करना- **25000** रूपए का दण्ड।

- निरंतर अथवा गंभीर प्रकृति के उल्लंघन के लिए विभागीय कार्रवाई की सिफारिश।

  तथापि, कोई आपराधिक जबावदेही नहीं।

  सदभावपूर्वक किए गए कार्यों के लिए छूट (धारा **21**)।

आरटीआई अधिनियम, **2005**-पहुंच

सामान्य पहुंच-विशेष रूप से गरीबों के लिए

- उचित स्तर पर शुल्क-यद्यपि राशि निर्धारित नहीं है। बीपीएल के लिए कोई शुल्क नहीं।
- आवेदन/अपील दाखिल करने को सुगम बनाने के लिए उप जिला स्तर पर सहायक जन सूचना अधिकारी।
- सूचना प्राप्त करने या अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे के लिए कारण को विनिर्दिष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- मौखिक अनुरोधों को कम करने के लिए लेखबद्ध करने का प्रावधान।
- विकलांग व्यक्तियों सहित सभी को सभी प्रकार की अपेक्षित सहायता प्रदान करने का प्रावधान।
- सूचना स्थानीय भाषाओं में प्रदान की जाएगी।
- क्षति का प्रावधान।
- केवल भारत के नागरिकों के लिए खुला।

आरटीआई अधिनियम, 2005- सार्वजनिक प्राधिकरणों के उत्तरदायित्व

- जन सूचना अधिकारी/सहायक की नियुक्ति। अधिनियमन के **100** दिन के भीतर पीआईओ**(5(1))**।
- अनुरक्षण**,** केटालागिग**,** इंडेक्सिंग**,** कम्प्यूटरीकरण तथा रिकार्ड की नेटवर्किग **(4(1)(**क**))**।
- अधिनियमन के **120** दिन के भीतर सूचना के एक पूरे सेट का प्रकाशन और इसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन बनाना**(4(1)(**ख**))**।
- महत्वपूर्ण नीतियां तैयार करते समय या जन साधारण को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय सभी संबंधित तथ्यों का प्रकाशन**(4(1)(**ग**))**।
- प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक अथवा अर्धन्यायिक निर्णयों के कारण उपलब्ध करवाना**(4(1)(**घ**))**।
- अपनी ओर से सूचना देना **(4(2))**।
- सूचना आयोग को सूचना देना **(25(2))**।
- जागरूकता बढ़ाना**,** शिक्षा और प्रशिक्षण **(26(1))**।
- सूचना निर्देशिका को स्थानीय भाषा में **18** महीने में संकलित करना और नियमित रूप से अद्यतन बनाना**(26(2)(3))**।

जन जागरूकता एवं शैक्षणिक कार्यक्रम धारा **26**

- सूचना के अधिकार के उपयोग के लिए जनता**,** विशेष रूप से गरीबों की समझ को बढ़ाने के लिए शैक्षणिक कार्यक्रमों का विकास एवं संगठित करना।
- सरकार।

- कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए लोक प्राधिकारियों को प्रोत्साहित करेगी; कार्यकलापों पर सही तकनीक का समयबद्ध/प्रभावी प्रसार को प्रोत्साहित करेगी।
- केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगी और संबंधित प्रशिक्षण सामग्री प्रस्तुत करेगी- प्रयोगकर्ता गाइड एवं संबंधित मामला।

सुनने के लिए आपका धन्यवाद!